दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार,
कार्यालय : सहायक आयुक्त (श्रम कल्याण),
'बी' बिल्डिंग, वरूणालय, करोल बाग,
नई दिल्ली–110005

क्रमांकःदिजबो/स0 आ0 (श्र.क.)/छात्रवृत्ति/2017--18/ 33166 दिनांक 29-5/17

परिपत्र

विषयः दिल्ली जल बोर्ड में कार्यरत कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को वर्ष 2017--18 के लिये छात्रवृत्ति देने के संबंध में ।

दिल्ली जल बोर्ड के समस्त स्थायी/अस्थायी कर्मचारी जो 'सी' श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तथा जिन्होंने दिल्ली जल बोर्ड में लगातार 3 वर्ष की सेवा–अवधि पूरी कर ली है व दिल्ली जल बोर्ड द्वारा उन सभी दैनिक वेतन भोगी (मस्ट्रोल) कर्मचारी को जिन्होने पूर्व तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिनों की उपस्थिति दर्ज की है उनके भी 'अविवाहित' आश्रित शिक्षारत पुत्र/पुत्रियों के लिए भी वर्ष 2017–18 में छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए आवेदन--पत्र आमंत्रित किये जाते हैं । जिन श्रेणी 'सी' के कर्मचारियों द्वारा विभाग से शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति ली जा रही है वे कर्मचारी भी अपने प्रथम दो बच्चों के लिए छात्रवृत्ति के लिए भी आवेदन कर सकते है। यदि किसी श्रेणी 'सी' के कर्मचारी को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. का लाभ मिलने के कारण उनका वेतनमान श्रेणी 'बी' का हो गया है परन्तु उनका पद श्रेणी 'सी' का ही हैं वे कर्मचारी भी अपने बच्चों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए आवेदन कर सकते है। छात्रवृत्ति निम्नलिखित शर्तो पर केवल प्रथम दो बच्चों के लिए प्रदान की जायेगी।

छात्रवृत्ति छठी कक्षा या उससे उच्च स्तर पर किसी भी कक्षा/कोर्स/डिप्लोमा /डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री के लिए दी जायेगी। छात्रवृत्ति पाने के लिए न्यूनतम अकं एव नियम (प्रतिशत में) निम्नप्रकार है :–
क

क.स.	कक्षा	न्यूनतम प्रतिशत प्राप्तांक
1.	कक्षा छठी से बाहरवी	(क) लड़के--80 प्रतिशत व अधिक (ख) लड़कियॉ--70 प्रतिशत व अधिक
2.	डिप्लोमा कोर्स व आई.टी.आई.	उपरोक्त
3.	स्नातक, स्नातकोत्तर व डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पी.एच.डी.) के लिए छात्र द्वारा कम से कम 60 प्रतिशत अकं व छात्रा द्वारा 50 प्रतिशत अकं अनिवार्य है ।	

EE EDP

कृ.प.उ.

EXECUTIVE ENGINEER (EDP)
Dy. No. 571
Date 30/05/17

ख

क्र.स.	छात्र/छात्रा की पात्रता के आधार के निर्धारण के अतिरिक्त यह भी शर्त है कि छात्र/छात्रा किसी रूकावट के नियमित रूप से अध्ययन कर रहा है।	
1.	कक्षा छठी से आठ	पिछली कक्षा में (पूर्ववर्ती वर्ग) प्राप्त अंक व जहाँ पर कक्षा पॉच की बोर्ड की परीक्षा होती है वहाँ पर कक्षा पॉच में प्राप्त अंको के आधार पर छात्रवृत्ति दी जायेगी।
2	कक्षा नंवी से दसवीं	8 वीं कक्षा की परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर छात्र/ छात्रा को कक्षा 9वीं/10वीं की छात्रवृत्ति दी जायेगी।
3	कक्षा ग्यारह से बारहवीं	10 वीं कक्षा की परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर छात्र/ छात्रा को कक्षा 11वीं/12वीं की छात्रवृत्ति दी जायेगी।
4.	डिप्लोमा कोर्स व आई.टी.आई.	10 वीं या 12 वीं कक्षा परीक्षा में प्राप्त अंक। पाठ्यक्रम के प्रत्येक वर्ष के लिए (जिस कक्षा के आधार पर) व डिप्लोमा पाठ्यक्रम में अर्धवार्षिक (छमाही) के दोनों सत्रों को जोडकर प्राप्तांकों के आधार पर।
5.	सभी स्नातक कोर्स (बी.आई.एम.एस., बी.डी.एस.,बी. टेक, एम.बी.बी.एस, डाक्टर इन फारमैसी, स्नातक, आर्युवैदिक व होम्योपैथिक, सी. ए, एवं एल. एल.बी. आदि)	स्नातक प्रथम वर्ष से अन्तिम वर्ष तक नियमित रूप से अध्ययन करने पर कक्षा 12 वीं की परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर छात्रवृत्ति दी जायेगी व स्नातक पाठ्यक्रम में अर्धवार्षिक (छमाही) के दोनों सत्रों को जोडकर प्राप्तांकों के आधार पर।
6	सभी स्नातकोत्तर कोर्स (एम.डी., एम.एस, एम. टेक., एम सी ए, एम. बी. ए, एल. एल. एम, एवं स्नातकोत्तर आदि)	स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष से अन्तिम वर्ष तक नियमित रूप से अध्ययन करने पर स्नातक की परीक्षा के प्रथम वर्ष से अन्तिम वर्ष तक कुल प्राप्तकों के आधार पर छात्रवृत्ति दी जायेगी व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अर्धवार्षिक (छमाही) के दोनों सत्रों को जोडकर प्राप्तांकों के आधार पर।
7	डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पी.एच.डी.)	डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पी.एच.डी.) का प्रथम वर्ष से अन्तिम वर्ष तक नियमित रूप से अध्ययन करने पर स्नातकोत्तरे की परीक्षा के प्रथम वर्ष से अन्तिम वर्ष तक कुल प्राप्तकों के आधार पर छात्रवृत्ति दी जायेगी व डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पी.एच.डी.) पाठ्यक्रम में अर्धवार्षिक (छमाही) के दोनों सत्रों को जोडकर प्राप्तांकों के आधार पर।
8	समिति ने यह भी अनुशंसा की है कि सीए और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पी.एच.डी.) आदि के संबंध में छात्रवृत्ति अनुदान के लिए अवधि उनके परीक्षा प्रतिरूप (पैटर्न) /पाठ्यक्रम प्रतिरूप के अनुसार माना जाना चाहिए क्योंकि यह वार्षिक आधार पर नही है।	

विभागाध्यक्ष केवल उन्हीं कर्मचारियों के प्रार्थना–पत्र इस कार्यालय को भेजें जो उपरोक्तानुसार शर्तों को पूरा करते हों। आवेदन डी.डी.ओ. के माध्यम से ही श्रम कल्याण विभाग में ही स्वीकार किये जायेंगे ।

कृ.प.उ.

गत् वर्ष के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि कर्मचारियों को इस पत्र के बारे में समय पर सूचना नहीं मिलने के कारण वे समय पर आवेदन नहीं कर सके। अतः सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि कृपया इस परिपत्र के बारे में अधीनस्थ कर्मचारियों को पूरी तरह से जानकारी दी जाये तथा कार्यालयों/स्टोर्स आदि पर इसकी प्रतियाँ कर्मचारियों के सूचनार्थ नोटिस--बोर्ड पर दर्शाया जाये। यदि किसी कर्मचारी को इस बारे में सूचना नहीं मिल पाती और निर्धारित तिथि के पश्चात् उसका फार्म प्राप्त करने की तिथि तक जमा न होने की स्थिति में उसका फार्म अस्वीकृत कर दिया जाता है, तथा इसका उत्तरदायित्व संबंधित अधिकारी का होगा।

राजेन्द्र सिंह 23/5/17
(राजेंन्द्र सिहँ)
सहायक आयुक्त (श्रम कल्याण)

सभी विभागाध्यक्ष
प्रति कृपया सूचनार्थ :

1. सदस्य प्रशासन /सदस्य वित्त / सदस्य जलापूर्ति / सदस्य ड्रेनेज
2. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3. निदेशक प्रशासन एवं कार्मिक / निदेशक राजस्व / निदेशक वित्त एवं लेखा
4. मुख्य अभियंता सी--प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/सप्तम/वाटर वर्क्स
5. परामर्शदात्री जन सम्पर्क -- वरूण पत्रिका में प्रकाशनार्थ
6. सभी यूनियनें।
7. **EE(EDP)** कृपया इन्टरनेट पर डाले

राजेन्द्र सिंह 23/5/17
सहायक आयुक्त (श्रम कल्याण)

AE-III (EDP)

Sh. Sanjay (Prog-1)